सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-684/JH/6/2022-ESDW

दिनांक: 03 /07/2026

सेवा मे ,

उपायुक्त,
जिला रांची,
ब्लॉक-A, उपायुक्त कार्यालय,
कचहरी चौक,
रांची-834001, झारखंड
ई-मेल: dc-ran@nic.in

विषय: **श्री सीता राम भगत (केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी कल्याण मिशन आश्रम, सरना भवन, मेदियाटांड, पोस्ट ऑफिस और थाना- रातु, जिला- रांची, झारखंड) का 23.04.2022 का आवेदन; यह आवेदन ज़मीन माफ़िया द्वारा श्मशान, खेल के मैदान, पूजा-स्थलों आदि की ज़मीन के फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन के संबंध में है।**

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली** में दिनांक **15.07.2026 को 16.15 Hrs** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त / Purnendu Kant)
निदेशक / Director
ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:</u>
श्री सीता राम भगत,
केन्द्रीय अध्यक्ष,
आदिवासी कल्याण मिशन आश्रम,
सरना भवन, मेदियाटांड़, पीओ एवं पीएस- रातू,
जिला रांची, झारखण्ड

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading